संख्या : 414 / छप्पन–14–38 / 98

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 2014

विषय : नागरिक उड्डयन निदेशालय के अधीन संविदा पर कार्यरत पायलटों को देय मासिक पारिश्रमिक में वृद्धि किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1076 / ना0उ0वि0उ0प्र0 / आप्स–36 / 2014, दिनांक 17.1.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा नागरिक उड्डयन निदेशालय के अधीन संवदा पर कार्यरत पायलटों को देय मासिक पारिश्रमिक में वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–978 / छप्पन–2007–38 / 98, दिनांक 11.9.2007 द्वारा गठित समिति के समक्ष दिनांक 19.2.2014 को विचार किया गया। उक्त समिति द्वारा शासनादेश संख्या–683 / छप्पन–2007–180 / 2000, दिनांक 13.8.2007 में अंकित व्यवस्था के आलोक में यह मत स्थिर किया गया कि चूँकि उक्त शासनादेश द्वारा संविदा पर कार्यरत पायलटों को वर्ष 2007 से रूपये 1.50 लाख से 2.50 लाख तक का पारिश्रमिक मासिक आधार पर निर्धारित है तथा उक्त पारिश्रमिक रेन्ज के अन्तर्गत पायलटों को रूपये 1.80 लाख के नियत पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है, जो तत्समय प्रचलित बाजार दरों / मंहगाई भत्ते के आधार पर निर्धारित किया गया था। समिति द्वारा इस अवधि में बाजार दरों / मंहगाई भत्ते में हुई वृद्धि को देखते हुए संविदा पर कार्यरत पायलटों के पारिश्रमिक में वर्तमान मासिक पारिश्रमिक की रेंज रूपये 1.50 लाख से रूपये 2.50 लाख के अन्तर्गत रूपये 2.50 लाख मासिक पारिश्रमिक प्रदान किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी है।

2– समिति द्वारा की गयी उक्त संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान में पायलट (फिक्स्ड विंग) के 10 पदों तथा पायलट (रोटर विंग) के स्वीकृत 08 पदों के सापेक्ष संविदा पर कार्यरत पायलटों और वर्तमान में रिक्त पदों के सापेक्ष संविदा के आधार पर भविष्य में नियुक्त होने वाले पायलटों को वर्तमान में प्राप्त हो रहे मासिक पारिश्रमिक के स्थान पर रूपये 2.50 लाख (रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) मासिक पारिश्रमिक प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार–प्रथम (आडिट / लेखा), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–7
4– वित्त (सामान्य) अनुभाग–1
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।